न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 44 / 2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी ईडवा हाल निवासी आन्तरोली सांगा, तहसील परबतसर जिला नागौर।		1 पतासी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति कुम्हार 2 राकेश प्रजापत पुत्र आसुराम जाति कुम्हार 3 सीताराम पुत्र आसुराम जाति कुम्हार निवासीगण ईडवा, तहसील डेगाना, जिला नागौर। 4 तहसीलदार भू.अ. डेगाना

उपस्थिति :–

1. श्री भागीरथ चौधरी अपीलांट की ओर से।
2. श्री शेलेन्द्र सिंह कालवी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 की ओर से।
3. श्री ओप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 29.09.2022

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, (भू.अ.) डेगाना द्वारा ग्राम ईडवा के नामान्तरकरण सं. 952 निर्णय दिनांक 14.10.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.11.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 18.11.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 से 3 की ओर से श्री शेलेन्द्र सिंह कालवी अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 952 की फोटोप्रति तथा नकल चालू खतौनी सम्वत 2072–76, ख.न. 1580 / 1264 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–नामान्तरण जेर अपील कतई गलत, विधि विरूद्व व बाद में कांट छांट करके अपराधिक नियत से छल कपट से तैयार किया होने से अपास्त किये जोने योग्य है।

{2}(II)–उक्त भूमि अपीलांट की पुश्तेनी भूमि होना अपीलांट की माता व भाई आशाराम को शुरू से जानकारी रही है व उक्त भूमि में अपीलांट का बंट अनुसार कब्जा काश्त होने की भी जानकारी रही है व पटवार हल्का आर.आई. हल्का को भी अपीलांट की उक्त भूमि पुश्तेनी होने व अपीलांट का मौके पर कब्जा काश्त होने की जानकारी होने व रेस्पोडेन्टान् का कब्जा नहीं होते हुए भी बिना कब्जा की जांच किये बाले बाले नामान्तरकरण प्रस्तावित व स्वीकृत करवाया होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)–अपीलांट द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि की घोषणा व अपने नाम दर्ज करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी डेगाना के समक्ष दावा पेश किया हुआ है जिसकी जानकारी तहसीलदार डेगाना को रही है क्योंकि दावा में तहसीलदार डेगाना स्वयं पक्षकार है व वाद विचाराधीन होने की जानकारी तहसीलदार को शुरू से ही रही है इसके बावजूद भी विवादित भूमि का नामान्तरकरण बिना अपीलांट को सूचित किये, बिना मौके पर कब्जे की जांच किये, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये व राजस्व वाद विचाराधीन होते हुए भी आनन फानन में प्रस्तावित व स्वीकृत किया होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)– उक्त आराजी बाबत बाले बाले मिथ्या तथ्यो की घोषणा करते हुए नुमाइशी हस्तान्तरण विलेख करवा कर उसके आधार पर नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत करवाया गया है जबकि बेचानकर्ता व खरीददार के मध्य न तो कब्जा का आदान प्रदान हुआ न अन्य प्रतिफल की राशि का आदान प्रदान हुआ न विक्रय की विधिक संविदा हुई न ही बेचानकर्ता को सम्पूर्ण भूमि बेचान करने का अधिकार था, इस कारण कथित नूमाईशी विक्रय विलेख के आधार पर स्वीकृत नामान्तरण अवैध होने से निरस्तनीय है।

{2}(V)–अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया था, जिसकी राजस्व अपील अधिकारी नागौर न मात्र पालना स्थगित की थी एवं स्थगन प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में आज भी विचाराधीन है जिसका न तो मूल रूप से निस्तारण हुआ

अपर कलक्टर, नागौर

है न उसे खारिज किया गया है इसके बावजूद भी तहसीलदार डेगाना ने आनन–फानन में दिनांक 11.10.21 को ही म्यूटेशन प्रस्तावित करवा कर उसी दिन आर.आई. से जांच करवाने का अंकन कर सभी मुकदमों का हवाला देकर स्वीकृत किया है जिससे यह साफ जाहिर है कि उक्त मुकदमें विचाराधीन होने की उनको जानकारी रही है इसके बावजूद बिना कोई नोट अंकित किये नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटी की है।

{2}(VI)– न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर में वाद विचाराधीन होने पर बेचान दादी पोतो के नाम किया। तहसीलदार द्वारा मौके पर कब्जा नहीं देखा। आज भी अपीलांट का कब्जा है। अपीलांट को उक्त पुश्तैनी जमीन से बेदखल किया जा रहा है।

{3} वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट का अधिकार दावे से तय होगा तथा दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डेगाना में विचाराधीन है, जहां यह बेचान को चुनौती दे सकते है। बेचान वर्तमान में प्रभावी है और नामान्तरण उसी क्रम में भरा हुआ है।

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा ईडवा के नामान्तरकरण सं. 952 दिनांक 14.10.2021 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रतीत होता है कि उक्त नामान्तरण स्वीकृत करते समय तहसीलदार द्वारा कब्जा बाबत् मौके पर जाकर किसी प्रकार की जांच नहीं की। अपीलांट की उक्त भूमि पुश्तैनी होना प्रतीत होता है व अपने हक राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु वाद सहायक कलक्टर डेगाना में पेश किया हुआ प्रतीत होता है। नामान्तरकरण कार्यवाही से पूर्व पक्षकारो को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नही दिया गया है एवं संपूर्ण जानकारी / जांच की जानी चाहिये थी। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{6}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर दोनो पक्षो को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर